

पंजाब नेशनल बैंक

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विलय योजना के अनुसार "पूर्ववर्ती 'नेदुंगडी बैंक लिमिटेड' ईएनबीएल (eNBL) को दिनांक 31.01.2003 को पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में विलय कर दिया गया था। विलय योजना के अनुसार, ईएनबीएल (eNBL) की सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ पीएनबी को हस्तांतरित कर दी गईं और ईएनबीएल (eNBL) की प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधि को अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान और ईएनबीएल (eNBL) की अन्य परिसंपत्तियों पर मूल्यहास के रूप में माना गया। योजना के अनुसार, ईएनबीएल (eNBL) के शेयरधारकों को पंजाब नेशनल बैंक का कोई शेयर नहीं मिला क्योंकि इसमें कोई स्वैप अनुपात निर्धारित नहीं किया गया था। इसके अलावा, अध्याय IV, उप-पैरा (8) के अनुसार, यदि ईएनबीएल (eNBL) की देनदारियों के लिए विनियोजन के बाद कोई अधिशेष बचता है, तो उसे ईएनबीएल (eNBL) के साधारण शेयरधारकों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाना था। दिनांक 31.03.2012 को ईएनबीएल (eNBL) की एनआरआर परिसंपत्ति के अंतिम मूल्यांकन के अनुसार, जिसे बाद में आरबीआई द्वारा दिनांक 21.09.2012 के पत्र द्वारा अनुमोदित किया गया था, 41.01 करोड़ रुपये की सीमा तक शुद्ध घाटा था और इसलिए ईएनबीएल (eNBL) के शेयरधारकों के प्रति बैंक की ओर से कोई और देयता बकाया नहीं है।